न्यायमूर्ति जवाहर लाल गुप्ता के समक्ष

यूको बैंक और अन्य, -अपीलार्थी

बनाम

सांवर माल, -उत्तरदाता

आर. एस. ए. सं. *1398* सन *1997*

8 जुलाई, 1998

यूको बैंक *(कर्मचारी)* पेंशन विनियम, *1995*- रेग. 14 - न्यूनतम *10* वर्ष की सेवा प्रदान करने वाला कर्मचारी पेंशन का हकदार - कर्मचारी ने इस्तीफा दे दिया है- क्या ऐसा कर्मचारी पेंशन का हकदार होगा।

अभिनिर्णित किया गया कि यह सच है कि इस्तीफे और सेवानिवृत्ति के बीच अंतर है। हालांकि, वर्तमान स्थिति के संदर्भ में जहां पेंशन का उद्देश्य किसी कर्मचारी को उसके द्वारा प्रदान की गई पिछली संतोषजनक सेवा के लिए पुरस्कृत करना है, प्रत्यर्थी को लाभ से वंचित करने का कोई तर्क नहीं प्रतीत होता है। अगर वह संशय के अधीन होता तो स्थिति अलग हो सकती थी। अगर उनके विरूद्ध कोई आरोप पत्र लंबित होती और प्रत्यर्थी ने सेवा से इस्तीफा दे दिया होता, तो बैंक वैध रूप से विरोद्ध कर सकता था कि उसने जुर्माना लगने से बचने के लिए इस्तीफा दे दिया है। ऐसी स्थिति नहीं थी। उन्होंने ऐसे समय में इस्तीफा दे दिया था जब पेंशन योजना मौजूद नहीं थी। यह योजना केवल वर्ष 1995 में शुरू की गई थी जब वैधानिक विनियमों को अधिसूचित किया गया था।इस स्थिति में, नीचे दिए गए दोनों न्यायालयों द्वारा दर्ज समवर्ती निष्कर्षों में हस्तक्षेप करने का कोई आधार प्रतीत नहीं होता है।

(पैरा 8)

सूर्यकांत, अधिवक्ता, अपीलार्थियों के अधिवक्ता।

निर्णय

न्यायमूर्ति जवाहर लाल गुप्ता, *(मौखिक)*

(1) वादी प्रतिवादी के पेंशन के दावे को दोनों न्यायालयों द्वारा बरकरार रखे जाने के बाद, बैंक ने यह दूसरी अपील दायर की है। कुछ तथ्य इस प्रकार है—

(2) वादी-प्रतिवादी ने 29 दिसंबर, 1959 को यूको बैंक के साथ एक चपरासी के रूप में सेवा की थी। वर्ष 1980 में उन्हें लिपिक के पद पर पदोन्नत किया गया। फरवरी, 1988 में उन्होंने बैंक से उन्हें उनके कर्तव्यों से मुक्त करने का अनुरोध किया ताकि वे अपना स्वयं का काम शुरू कर सकें। 24 मार्च, 1988 को प्रत्यर्थी को बैंक की सेवा से मुक्त कर दिया गया।

(3) 27 मई, 1994 को बैंक ने पेंशन योजना के कार्यान्वयन के संबंध में एक पत्र परिचालित किया। यह कहा गया था कि यह योजना उन कर्मचारियों पर लागू होगी जो 1 जनवरी, 1986 को या उसके बाद और 1 नवंबर, 1993 से पहले सेवानिवृत्त हुए हैं। कर्मचारियों को चार महीने के भीतर "अपरिवर्तनीय विकल्प" का प्रयोग करना था। उन्हें भविष्य निधि में बैंक के पूरे योगदान को वापस करना था, जिसमें उस पर प्राप्त ब्याज के साथ-साथ निकासी की तारीख से धनवापसी की तारीख तक 6 प्रतिशत प्रति वर्ष का सरल ब्याज भी शामिल था। 29 सितंबर, 1995 को बैंक ने यूको बैंक (कर्मचारी) पेंशन विनियम, 1995 नामक विनियम बनाए। ये विनियम अन्य बातों के साथ-साथ उन कर्मचारियों पर भी लागू किए गए थे जो 1 जनवरी, 1986 को या उसके बाद बैंक की सेवा में थे, लेकिन 1 नवंबर, 1993 से पहले सेवानिवृत्त हो गए थे। विनियमन संख्या '5' के द्वारा यह प्रावधान किया गया था कि "बैंक एक कोष का गठन करेगा जिसे यूको बैंक (कर्मचारी) पेंशन कोष कहा जाएगा।" न्यासी मंडल के गठन का भी प्रावधान किया गया था। विनियम संख्या '14' में प्रावधान किया गया था कि "इन विनियमों में निहित अन्य शर्तों के अधीन, एक कर्मचारी जिसने अपनी सेवानिवृत्ति की तारीख या जिस तारीख को वह सेवानिवृत्त हुआ है, उस तारीख को बैंक में न्यूनतम दस वर्षों की सेवा प्रदान की है, वह पेंशन के लिए अर्हता प्राप्त करेगा।"। विनियमन के तहत, यहां तक कि परिवीक्षा पर सेवा और जिस अवधि के दौरान एक कर्मचारी छुट्टी पर रहा, वह भी योग्यता सेवा के लिए गणना योग्य थी। विनियम '22' में अन्य बातों के साथ-साथ यह प्रावधान किया गया है कि "बैंक की सेवा से किसी कर्मचारी के इस्तीफे या बर्खास्तगी या हटाने या समापन से उसकी पूरी पिछली सेवा जब्त हो जाएगी और इसके परिणामस्वरूप वह पेंशन लाभों के लिए योग्य नहीं होगा।"

(4) ऐसा प्रतीत होता है कि 27 मई, 1994 के परिपत्र के जवाब में वादी-प्रत्यर्थी ने पेंशन योजना के तहत लाभ देने का अपना विकल्प दिया। हालाँकि, कागजात मूल रूप से वापस कर दिए गए थे - 17 अक्टूबर, 1994 के पत्र के माध्यम से उन्हे पेंशन के अनुदान के लिए अयोग्य कहा गया क्योंकि वादी ने इस्तीफा दे दिया था व वह सेवानिवृत्त नही हुऐ थे। इस स्थिति का सामना करते हुए, प्रत्यर्थी ने एक घोषणा के लिए मुकदमा दायर किया था कि वह पेंशन का हकदार है। उन्होंने बैंक को ब्याज के साथ सभी बकाया राशि का भुगतान करने का निर्देश देने के लिए एक आदेशात्मक निषेधाज्ञा जारी करने का भी अनुरोध किया था।

(5) वादी-प्रत्यर्थी के मुकदमे का निर्णय निचली अदालत ने दिया था। बैंक द्वारा दायर अपील को खारिज कर दिया गया है, इसने वर्तमान दूसरी अपील दायर की है।

(6) अपीलार्थी के विद्वान वकील श्री सूर्यकांत ने तर्क दिया है कि 1995 के विनियमों के विनियम '22' के प्रावधानों को देखते हुए, जैसा कि ऊपर निर्दिष्ट किया गया है, वादी-प्रतिवादी किसी भी पेंशन के अनुदान का हकदार नहीं है क्योंकि उसने वास्तव में बैंक की नौकरी से इस्तीफा दे दिया था और सेवानिवृत्त नहीं हुआ था।

(7) मान लीजिए, प्रत्यर्थी ने 25 फरवरी, 1988 को अपना त्याग पत्र प्रस्तुत किया था।उन्होंने "अपना काम स्वयं शुरू करने" के एकमात्र उद्देश्य के लिये यह किया था। वह किसी संशय के अन्तर्गत नहीं था। उसके खिलाफ कोई आरोप या आरोप पत्र लंबित नहीं था। यहां तक कि उनका स्पष्टीकरण भी नहीं मांगा गया था। इसके अलावा, यह स्वीकृत स्थिति है कि वर्ष 1988 में, पेंशन योजना के वैधानिक नियमों को अंतिम रूप नहीं दिया गया था या अधिसूचित नहीं किया गया था।हालांकि, वर्ष 1994 में बैंक ने उन कर्मचारियों को पेंशन देने के लिए एक योजना तैयार की थी जो 1 जनवरी, 1986

को सेवा में थे, लेकिन 1 नवंबर, 1993 से पहले सेवानिवृत्त हो गए थे। यह भी एक स्वीकृत स्थिति है कि प्रत्यर्थी ने वास्तव में 28 वर्षों से अधिक समय तक बैंक की सेवा की थी और उसके पूरे रिकॉर्ड में कोई दोष नहीं था। इस स्थिति में प्रत्यर्थी को पेंशन की स्वीकार्यता के संबंध में बैंक के दावे पर विचार किया जाना चाहिए।

(8) यह सच है कि इस्तीफे और सेवानिवृत्ति के मध्य अंतर है। हालाँकि, वर्तमान स्थिति के संदर्भ में जहाँ पेंशन का उद्देश्य एक कर्मचारी को उसके द्वारा प्रदान की गई पिछली संतोषजनक सेवा के लिए पुरस्कृत करना है, प्रत्यर्थी को लाभ से वंचित करने का कोई तर्क नहीं प्रतीत होता है। अगर वह संशय के अन्तर्गत होता तो स्थिति अलग हो सकती थी। मान लीजिए कि उसके खिलाफ एक आरोप पत्र लंबित होता और प्रतिवादी ने सेवा से इस्तीफा दे दिया होता, तो बैंक वैध रूप से विरोद्ध कर सकता था कि उसने जुर्माना लगाने से बचने के लिए इस्तीफा दे दिया है। ऐसी स्थिति नहीं थी। उन्होंने ऐसे समय में इस्तीफा दे दिया था जब पेंशन योजना मौजूद नहीं थी। यह योजना केवल वर्ष 1995 में शुरू की गई थी, जब वैधानिक विनियमों को अधिसूचित किया गया था। इस स्थिति में, नीचे दिए गए दोनों न्यायालयों द्वारा दर्ज समवर्ती निष्कर्षों में हस्तक्षेप करने का कोई आधार प्रतीत नहीं होता है।

(9) श्री सूर्यकांत प्रस्तुत करते हैं कि प्रतिवादी ने विनियमों के अधिकारों को चुनौती नहीं दी थी। अगर ऐसा होता तो वह लाभ का हकदार नहीं था। याचिका असमर्थनीय है। जिस तारीख को वादी-प्रतिवादी ने अदालत का दरवाजा खटखटाया था, उस दिन कोई वैधानिक नियम अस्तित्व में नहीं आए थे। यह स्वीकृत है कि विनियमों को 29 सितंबर, 1995 को अधिसूचित किया गया था, वादी द्वारा वर्ष 1994 में मुकदमा दायर किया गया था। वास्तव में, विद्वान वकील का कहना है कि मुकदमा नवंबर, 1994 में दायर किया गया था। उस तारीख को नियम मौजूद नहीं थे। वादी-प्रत्यर्थी के लिए अधिकारों को चुनौती देने का अवसर नहीं था।

कोई अन्य मुद्दा नहीं उठाया गया है।

(10) मामले के तथ्यों और परिस्थितियों में, बैंक के पक्ष में कोई साम्यता नहीं है ताकि नीचे दिए गए न्यायालयों के आदेशों में किसी भी हस्तक्षेप का आह्वान किया जा सके।

(11) अतः अपील को आरंभ से खारिज कर दिया जाता है। हालांकि, खर्चे के बारे में कोई आदेश नहीं होगा।

एस सी क

अस्वीकरण : *स्थानीय भाषा में अनुवादित निर्णय वादी के सीमित उपयोग के लिए है ताकि वह अपनी भाषा में इसे समझ सके और किसी अन्य उद्देश्य के लिए इसका उपयोग नहीं किया जा सकता है । सभी व्यवहारिक और आधिकारिक उद्देश्यो के लिए निर्णय का अंग्रेजी संस्करण प्रमाणिक होगा और निष्पादन और कार्यान्वयन के उद्देश्य के लिए उपयुक्त रहेगा ।*

परीक्षित
प्रशिक्षु न्यायिक अधिकारी
(Trainee Judicial Officer)
महम, रोहतक,हरियाणा